



न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

(88)

प्रकरणं क्रमांक.....

२११४-१३०१-१७

रामसिंह पुत्र चीनूसिंह जाति राजपूत वयस्क धंधा कास्तकारी
निवासी कस्वा कुम्भराज जिला गुना म०प० —निगरानीकर्ता/ आवेदक
विपरीत

म०प्र० शासन द्वारा पटवारी ग्राम कुम्भराज ————— अनावेदक

श्री. रामसिंह वत्स
द्वारा आज दि. ६-१-१७ को
प्रस्तुत

कलक ऑफिस
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता 1959।

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महो० कुम्भराज के प्र० क्रं०
30अ68/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 29-12-16 से व्यथित होकर ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 118-पीबीआर/17

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-9-2017	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-12-16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 248 के प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत प्रारम्भिक आपत्ति लगाई गई है, जो कि साक्ष्य का हिस्सा है, जिसका निराकरण प्रकरण में साक्ष्य के बाद ही अन्तिम निराकरण करते हुए ही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिए कि वह संहिता की धारा 248 के प्रकरण में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत करे तथा अपने पक्ष की साक्ष्य में उक्त समस्त बिन्दु/प्रमाण पेश कर सकता है । अतः प्रारम्भिक स्तर पर आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>